**Fourteenth Loksabha**

**Session : 6**
**Date : 23-12-2005**

**Participants : Yadav Dr. Karan Singh**

>

Title : Need to include Rajasthani Language in the Eight Schedule to the Constitution.

**डॉ. करण सिंह यादव (अलवर)** : अध्यक्ष महोदय, राजस्थानी विश्व की समृद्धतम भाााओं में से एक है। इसका 2500 वां पुराना इतिहास है। इसमें लिखित लाखों हस्तलिखित ग्रंथ संग्रहालयों में पड़े हैं। राजस्थानी की स्वतंत्र व्याकरण है। पाकिस्तान में जो राजस्थानी व्याकरण चलती है, उसका नाम राजस्थानी कायदो है। शिकांगो विश्वविद्यालय, अमेरिका के दक्षिण एशियाई भाषा विभाग में राजस्थानी व्याकरण। इसके कई तरह के शब्दकोा हैं। पदमश्री सीताराम लालस का सबसे बड़ा राजस्थानी शब्दकोा है, जिसमें 2 लाख 50 हजार शब्द हैं। राजस्थानी की मेवाड़ी, बागड़ी, मालवी, मार वाडी, ढूंढाडी, हाडौती, मेवाती, भीली, ब्रज, खानाबदोाी बोलियां इसके अंग हैं एवं डिंगल व पिंगल इसकी प्राचीन शास्त्रीय कविता की शैलियां हैं। इस तरह राजस्थानी भाषा रेडियो, दूरदर्शन के समाचारों व अन्य कार्यक्रमों में दशकों में मान्य भाषा है। केन्द्र सरकार की साहित्य अकादमी ने भारतीय भाााओं के समकक्ष राजस्थानी को मान्यता दे रखी है, राजस्थान में राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी भी काम कर रही है। इसलिए हम यह मांग करते हैं कि राजस्थानी भाषा को आठवीं अनुसूची में जोड़ा जाये। इस संबंध में 25 अगस्त, 2003 को राजस्थान की विधान सभा में सर्वसम्मत प्रस्ताव पास करके केन्द्र सरकार को भेज दिया।

अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि राजस्थानी भाषा का संविधान की आठवीं अनुसूची में जोड़ा जाये।